(16)

संख्या–1354/XXVIII(1)/2011-37/2007 TC-I

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्राचार्य,
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली, राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान,
श्रीनगर गढ़वाल।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांकः 01 दिसम्बर, 2011

विषयः– वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल में क्लीनीकल एकेडमिक ब्लाक के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1064/XXVIII(1)/2006-19/2006 दिनांक 31.05.2006, संख्या–159/XXVIII(1)/2007-19/2006 दिनांक 14.03.2007, संख्या–1614/XXVIII(1)/2007-19/2006 दिनांक 29.10.2007 एवं संख्या–327/XXVIII(1)/2008-19/2006 दिनांक 31.03.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल में क्लीनीकल एकेडमिक ब्लाक के निर्माण कार्यो हेतु उपलब्ध करवाये गये पुनरीक्षित आंगणन को टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी **धनराशि ₹ 1008.91 लाख** की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए,उक्त के सापेक्ष पूर्व में निर्गत धनराशि रू0 710.00 लाख को कम करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में (संलग्न प्रपत्र बी0एम0–15 के विवरणानुसार) अवशेष धनराशि **₹ 298.91 लाख (₹ दो करोड़ अठ्ठानब्बे लाख इक्कानब्बे हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2. उक्तानुसार अनुमन्य की जा रही धनराशि वर्णित सम्पूर्ण कार्य हेतु अधिकतम व्यय सीमा मात्र को प्राधिकृत करता है परन्तु धनराशि कार्यदायी संस्था को आबंटित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी प्रकिया से किया गया हो एवं प्राप्त न्यूनतम राशि के सापेक्ष आहरण दो किश्तों में (₹ 1.50 करोड़ तथा ₹ 1.4891 करोड़) प्रथम किश्त के सापेक्ष संतोषजनक वित्तीय/भौतिक प्रगति विषयक आख्या प्राप्त होने व पूर्ण व्यय होने पर ही द्वितीय किश्त आहरित की जायेगी।

3. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित

6. उक्त धनराशि तत्काल आहरित कराई जायेगी तथा तत्पश्चात् परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, श्रीनगर गढ़वाल को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य स्वीकृत लागत में ही निर्धारित समय–सारणी के अनुसार पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

7. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैन्युवल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. आगणन को जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

9. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या हर दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

10. धनराशि का आहरण एवं व्यय मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाये। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण हेतु नियोजन विभाग के माध्यम से थर्ड पार्टी चेंकिग की व्यवस्था की जाये जिसके सापेक्ष आने वाला व्ययभार कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

11. इस कार्य हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का भी अनुपालन किया जायेगा। उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(3)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत 03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105– एलोपैथिक 03–श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के मानक मद 24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा पुर्नविनियोग प्रपत्र बी0एम0–15 के कॉलम –1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–252(P)/XXVII(3)2011-12 दिनांक 16 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
3- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6- वित्त नियंत्रक, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल।
7- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इकाई–02 श्रीनगर गढ़वाल।
8- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9- वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।

शासनादेश सं0–1354 /XXVIII(1)/2010-37/2007 TC-I का संलग्नक

बी0एम0–15

नियंत्रक अधिकारीः वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल।

(वित्तीय वर्ष 2011–12)

पुनर्विनियोजन का आवेदन पत्र **(हजार रू0 में)**

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुनर्विनियोजन के बाद के स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोजन के बाद स्तम्भ–1 की अवशेष धनराशि (1–5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत				4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत			वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल के अन्तर्गत क्लीनिकल एकेडमिक ब्लाक की स्थापना हेतु।
03– चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान				03– चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105– एलोपैथी				105– एलोपैथी			
10– नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना				03– श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना			
24– वृहत निर्माण 100000.00	0	70109.00	29891.00	24– वृहत निर्माण 29891.00	39891.00	70109.00	
योग– 100000.00	0	70109.00	29891.00	योग– 29891.00	39891.00	70109.00	

नोटः– प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोजन से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग
संख्या–252(P)/वित्त अनुभाग–3/2011–12
देहरादूनः दिनांकः16 नवम्बर, 2011
पुनर्विनियोजन स्वीकृति

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव वित्त

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी)
ओबराय बिल्ड़िंग, माजरा, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

संख्याः– 1354 /XXVIII(1)/2011-37/2007TC-I दिनांक–01 दिसम्बर, 2011

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–3
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।